संख्या–132 /XV–1/1(6)/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2008

विषयः– पशुचिकित्सालय, पंजिटिलाणी के आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक के पत्र संख्या 1271/नि0/भ0नि0/टी0एस0 पी0/2007–08 दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में पशुचिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालय, पंजिटिलाणी के आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा गठित आगणन रुपया 54.30 लाख के सापेक्ष औचित्यूपर्ण धनराशि रुपया 51.62 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रूपया 30.00 लाख (रूपया तीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4. एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाये।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

9. जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10. निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रुप से शासन को उपलब्ध करायी जाये।

11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

12. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनागत पक्ष के अर्न्तगत अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01–पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण–24–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–446(P)/वित्त अनुभाग–4/2008 दिनांक 18 फरवरी, 2008 के कम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–आगणन

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या–132 (1)/XV–1/1(6)/2007–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, पशु पालन को उनके पत्र संख्या 1271/नि0/भ0नि0/टी0एस0पी0/2007–08 दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
10. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम चकराता, देहरादून रोड, ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव